



५३१

दूरभाष - 2286709
2286710

नव घेताना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : 3100 / 05 / 76 / एक / 2015-16
सेवा में,

दिनांक ०८ नवम्बर 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभियान
जनपद-सम्मल।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूड़ा) को अत्यसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मालिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मालिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	50086598202	IFSC Code ALLA0210565	188.189 ✓
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मालिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	सम्मल	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० सम्मल	मौ० शाहजीपुरा से भूरा के मकान तक, रामफल रो जगन्नाथ तक, रामेश्वर से मुन्नू तक, अमर सिंह से ओमप्रकाश तक, राधेश्याम रो अनिल के प्लाट तक, नानक चन्द्र रो अशोक तक, रामप्रकाश से प्रताप तक, हरकेश के प्लाट रो गोहन तक, चक्की रो ओमप्रकाश तक, राकेश रो राजेन्द्र तक, रमेश से ओमप्रकाश तक, डॉ० जगदीश कश्यप से निर्दोष आदती तक, छत्रपाल से मुन्ना तक, मुस्तफा मरिजाद से आराकीन तक, मरगूब के प्लाट से खदीजा मरिजाद तक, इन्तजार से उरमान तक एवं इरफान शीट वालों से मोदीन तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	26.566
2	सम्मल	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० सम्मल	मौ० हयातनगर पूर्वी वार्ड रो० 03 से हरिओम की दुकान के बराबर वाली गली, अजमल की दुकान से महेन्द्र तक, युसूफ से नासिर तक, बावूराम रो रामौतार तक, युसूफ खाँ की दुकान के बराबर वाली गली, अफसर से अफरोज तक, चरन सिंह से रामवाल तक, छदमी लाल से बराबर वाली गली, खेमपाल रो लाल खाँ तक, जबर सिंह से खेमपाल तक, किशनपाल से नन्दकिशोर तक, मास्टर रामप्रसाद से हेतराम तक, धर्मेश रो नरदेव तक, अच्छन रो छोटे तक, अतर सिंह रो गंगासरन तक, अम्बरीश से रामेश्वर तक, सतीरा से नरेश तक, गनपत से राजकुमार रो होते हुये मन्दिर तक, होरीलाल से नरोत्तम तक, वार्ड नं० 03 में गो हयातनगर (पूर्वी) में हरिओम की दुकार के बराबर वाली गली में कप्रिस्तान से राजीव तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	25.419



५३२/२

दूसरा - 2286709
2286710

नव घंटाना फैन्ड, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

क्र. सं.	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वर्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
3	सम्बल	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प० सम्बल	मौ० वरखेरियान वार्ड सं० 07 मे हाजी याकूब से रियाज तक, असलम भाई रो महबूब भाई तक, हाजी वारिस से गुलजार तक, हाजी जाविर से अब्दुल करीम तक, रईस से शमी तक, मुकीम से अकील तक, असलम के कारखाने से मौ० मियॉ तक, पोल्ट्री फार्म से शफीक एवं इश्तकार तक, हाजी रफीक से शफीक तक, हनीफ भाई से लईक तक, हाजी रालाम से मुरतफा तक, हनीफ से यूसुफ तक, हनीफ भाई की दुकान से साविर तक, मौ० अफसर से शफीक मिस्त्री तक, शमी के कारखाने के बराबर वाली गली एवं भूरा से फूलबाग वाली मसिजद तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	24.809
4	सम्बल	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प० सम्बल	मौ० हथातनगर (पश्चिम) में खानचन्द्र से माजिद के प्लाट तक, इसारार से शमीम तक, रियासत से राशिद तक, सलीम से मौ० तसलीम तक, रमेश से दयूबेल की गूल तक, चरन सिंह से कृपाल तक, खेमचन्द्र के प्लाट से दयूबेल की गूल तक, साविर से नेताराम तक, पप्पू सैनी की दुकान के बराबर वाली गली, सैनी ट्रांसपोर्ट के बराबर वाली गली सुनील के मकान तक, कर्बला/दादा रहीमउल्ला शाह की ज्यारत से मा० रफत के मकान तक, मैडू खॉ की मसिजद रो कब्रिस्तान तक, कब्रिस्तान के बराबर से चन्द्रपाल के मकान तक आदि गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	47.319
5	सम्बल	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प० सम्बल	मौ० नवादा वार्ड सं० 30 मे कगरुददीन से शाहनवाज तक, फिरोज दरोगा से मौ० उमर तक, शमीम की दुकान से अब्दुल मजीद के प्लाट तक, अबरार से मुल्ला रशीद तक, आफताब से पप्पू तक, शमशाद से अब्दुल हमीद तक, हाजी अजीज से मुनव्वर तक, यादराम के मकान से रमेश के मकान तक, शाकिर से जरीना वेगम तक, हाजी अजीज से छोटे तक, छिदा रो मारटर सलाम तक, मदरसा इरलामी के बराबर वाली गली, शमीउल्ला से हाजी अजीज तक, याकूब से मदरसे के पिछले दरवाजे तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	30.348
6	सम्बल	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प० सम्बल	मौ० झज्जरान वार्ड सं० 32 मे खालिद के प्लाट से हवीब तक, रईस के मकान से सफरुददीन के मकान तक, अकबर अली के मकान से यादू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.049
7	सम्बल	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प० सम्बल	मौ० भूडा वार्ड सं० 33 मे आरिफ से रईस तक, अर्नीस से मुख्तयार तक, खलील से रशीद तक, अबरार के कारखाने के बराबर वाली गली, हाजी युसूफ से राव वाली मसिजद तक, वाकिर हुरैम से मौ० असलम तक एवं राव वाली मसिजद से हाफिज इकराम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	18.679
	योग				188.189

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में सी०री० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-



५३८१३

दूसाप- 2286709
2286710

नव घेतना कोन्ड, 10 अशोक नगर, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 1- उम्प्रो सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मिलिन वर्सियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाईंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- कराया जायें। स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 4- प्रश्नगत परियोजना में प्रतावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 5- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 6- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुरितका के सुरांगत प्राविधानों के अन्तर्गत
- 7- निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 8- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख—खाद्य में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 9- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015–16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 10- उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 11- उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त आंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्ट्रेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।

2. अपर निदेशक, सूडा।।

3. अधिकारी अभियन्ता—सूडा।

4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक